



केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
(An ISO 9001:2015 Certified Institute)

विद्युत वितरण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान समिति

एस.पी.ची.-२, नवागांव, जबलपुर (ग.प्र.) 482008
Tel No 0761-2660038 Extn.270-2360 FAX-2660038
email-mpeztraining@gmail.com

कं./सचिव./वि.वि.प्र.अ.रा./के.प्र.सं./२३६

जबलपुर दिनांक २२/०१/२०२०

प्रति,

नोटिस बोर्ड शक्ति भवन / री.टी.आई. जबलपुर/येराइट

विषय: केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान नवागांव रामपुर जबलपुर में रियत प्रशिक्षु छात्रावास परिसर में रियत कैटीन संचालन देने एवं ट्रेनी कर्मिकों को सुबह का चाय नाश्ता दोपहर का भोजन, शाम की चाय एवं रात्रि भोजन प्रदाय करने हेतु।

महोदय,

कृपया निम्न सेवाकार्य के लिए व्यूनतम दर इस कार्यालय को 12.02.2020 (अपराह्न 3.00 बजे तक) रीलबंद लिफाफे में अपने लेटर पैड अथवा रांलजन प्रोफार्मा में शेड्यूल - 1 के अनुसार प्रेषित करें:-

| क्रमांक | विवरण | समय |
|---------|--|---------------------------------|
| 1. | सुबह की चाय - एक कप चाय सिर्फ | सुबह 6.00 बजे से 8.00 तक |
| 2. | सुबह का नाश्ता व चाय - दो पराठा चटनी व अचार के साथ अथवा दो ब्रेड पकोड़ा व चटनी अथवा दो समोरा व चटनी अथवा दो कचौड़ी व चटनी अथवा दो आलूबण्डा व चटनी अथवा पोहा 100 ग्राम एवं एक कप गर्म चाय | सुबह 8.00 बजे से 10.00 तक |
| 3. | दोपहर का भोजन -(लंच) तुअर दाल, चावल तथा रोटी, एक मौसमी सब्जी, सलाद एवं अचार, पापड़, रायता (भर पेट भोजन) | दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक |
| 4. | शाम की चाय एवं बिरकुट | शाम 5.30 बजे से 6.30 बजे तक |
| 5. | रात्रि भोजन - तवा रोटी, तुअर दाल, चावल, एक मौसमी सब्जी एवं अचार, पापड़, सलाद व एक मिठाई (भर पेट भोजन) | रात्रि 8.30 बजे से 10.30 बजे तक |

कैन्टीन संचालन हेतु पात्रता

1. संचालक के पास फर्म के नाम का पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. बंबर होना आवश्यक है।
2. संचालक के पास फर्म के नाम का मैस/कैन्टीन/होटल का कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
3. संचालक के पास फर्म के नाम का खाद्य विभाग का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

उपरोक्त सभी सेवाओं का प्रति व्यक्ति दर (समस्त करों सहित) अपने कोटेशन में इंगित करें।

नियम व शर्तें :-

1. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान बयागांव जबलपुर में रिशत प्रशिक्षु छात्रावास परिसर में रिशत कैटीन संचालन देने हेतु सोसाईटी रत्त पर केचल स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। हीटर/फ्लर/ का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कैटिन संचालक को प्रतिमाह रु 1200/- की दर से किराया देना होगा (किराये में 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा), जिसमें स्थान, पावी व बिजली सम्मिलित है। उक्त किराया प्रतिमाह 10 तारीख तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। समय पर किराया व देवे पर 10% मासिक दर से अधिभार देना होगा। तीव्र माह से अधिक किराया बाही होने पर कैटिन संचालन का आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
 2. भोजन बनाने, परोसने एंव खिलाने के बर्तन तथा गैर सूखा रिलेण्डर आदि की व्यवस्था आपकी होगी। याना बनाने हेतु कमरिंगल गैर सिलेण्डरों का उपयोग किया जायेगा। याना बनाने, परोसने तथा खाने के बर्तनों की स्वच्छता अनिवार्य है।
 3. भोजन प्रदाय व्यूक्ततम एवं अधिकतम समय-समय पर प्रबंधक की सूचना के आधार पर हो सकेगा। व्यवित्यों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन समय के पूर्व सूचित कर दिया जायेगा। खाने के मेनू का उचित परिवर्तन भोजन को सुलधिपूर्ण बनाने के लिये आवश्यक है, इस संबंध में प्रबंधक के विर्देशों का पालन आवश्यक है।
 4. भोजन के मेनू में गुणवत्ता एवं स्वच्छता आवश्यक है। भोजन में संज्ञियों बदल-बदलकर देना है, बाटा एवं अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं होगा। याना टेबिल पर लगाया जायेगा और प्रशिक्षु अपनी एवं अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं होगा। याना टेबिल पर लगाया जायेगा और प्रशिक्षु अपनी आवश्यकतानुसार ले सकेंगे। भोजन के साथ त्वच्छ पेयजल प्रदाय करना उपरोक्त रोपा में शामिल होगा।
 5. केन्द्रीय संचालक प्रशिक्षुओं से साप्ताहिक/पादिक/मासिक आधार पर भोजन की राशि प्राप्त करेगा एवं दैनंदिनी पंजी बनायेगा।
 6. भोजन बनाने एवं परोसने हेतु व्यक्ति साफ कपड़े पहनेंगे एवं अवश्यकतानुसार हेड कैप तथा दरताने का उपयोग करेंगे। वर्ष में एक बार कैटीन में कार्यरत कर्मियों को रखारथ्य परीक्षण करना अनिवार्य होगा।
 7. सेवाकाल एक वर्ष का रहेगा। मूल आदेश अवधि में रेट एक वर्ष के लिये वैध (रिटार) रहेंगे। इस दोरान मूल्य के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
 8. आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार (एक्सटेंशन), संतोषजनक सेवा एवं आपनी सहमति/स्वीकृति होने पर समिति द्वारा प्रथम आदेश के बराबर की अधिकतम अवधि के लिये किया जा सकेगा। एक वर्ष पूर्ण होने पर, सेवा विस्तार होने पर अनुमोदित दर पर अधिकतम 10% की दर से बढ़िये की जा सकेंगी।
 9. सेवा आदेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अंदर सुरक्षानिधि रुपये 5000/- (पॉच हजार रुपये) VVTRS जबलपुर को जमा करना आवश्यक होगा। सेवा समिति पर सुरक्षानिधि (बिना ल्याज के) वापिस कर दी जायेगी। सुरक्षानिधि विर्धारित अवधि में जमा वही कराने की दशा में सेवा आदेश विरस्त कर दिया जायेगा।
 10. सेवा में कमी पाये जाने, समय का पालन न करने पर अथवा भोजन की गुणवत्ता अराब होने पर राहिय को किसी भी दिन सेवा आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। समय-समय पर सचिव/प्रोग्रामर/उपराहिय केन्द्रीय का निरीक्षण करेंगे। नियम व शर्तों का पालन न करना, भोजन के मीनू में कमी, गुणवत्ता अथवा मात्रा में कमी पाये जाने पर कैटीन संचालन का आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रशिक्षुओं की शिकायतें जैसे भोजन समय पर न देना, विर्धारित मात्रा से कम देना, दिया जायेगा। प्रशिक्षुओं की शिकायतें जैसे भोजन समय पर न होना अथवा विर्धारित राशि से ज्यादा लेना होना आदि मीनू में कमी पाये जाना, रखच्छा पूर्ण न होना अथवा विर्धारित राशि से ज्यादा लेना होना आदि शिकायतें प्राप्त होने पर सचिव को किसी भी समय कैटीन संचालन का आदेश निरस्त करने का अधिकार है। शिकायत के आधार पर अथवा सेवा में कमी होने पर आदेश निरस्त किये जाने की दशा में सुरक्षा निधि वापिस नहीं की जायेगी।
 11. याना बनाने, सामान स्थाने तथा कैटीन हेतु दिये गये स्थान की साफ-सफाई की व्यवस्था केन्द्रीय संचालक को करनी होगी। प्रशिक्षुओं को हाथ धोने, पोछने हेतु शाबुन, तौलिया प्रदान करना सेवा में शामिल रहेगा।
 12. विविद बिना किसी कारण के निरस्त करने का अधिकार इस कार्यालय को सुरक्षित है। जिसमें आप रखने या कोटेशन दिनांक 12.02.2020 अपराह्न 3:15 पर कार्यालय में खोले जायेंगे। जिसमें आप रखने या आपके प्रतिविधि उपरिक्त रह सकते हैं।

नोट:- युला कोटेशन, कोटेशन में काट-पीट, ओवर रायटिंग, अस्पष्ट रेट आदि पाये जाने पर कोटेशन विरस्त कर दिया जायेगा। कोटेशन युलने के समय अगर किसी भी फर्म का पेन बंबर, जी-एस-टी. बंबर, ग्राउंड रजिस्ट्रेशन, दो बर्ष का अनुभव न होने पर कोटेशन उसी संगत विरस्त कर दिया जायेगा।

309

शेड्यूल - 1

कोटेशन

फर्म/केटरर/होटल/कैटीन संचालक का नाम व पता

दिनांक

फोन नंबर

1. मेरी फर्म का जीएसटी नंबर
2. मेरी फर्म का पेन नंबर
3. खाद्य विभाग का रजिस्ट्रेशन नं.
4. कार्य का अनुभव वर्ष

प्रति,

सचिव
विद्युत वितरण प्रशिक्षण
एवं अनुसंधान समिति
जबलपुर

आपकी इनकायायरी क्रमाक दिनांक के अनुसार छात्रावासों में कैटीन चलाने हेतु मेरी दर निम्नानुसार है :-

| क्रमाक | विवरण | समय | रेट प्रति व्यक्ति प्रति नग |
|--------|--|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | सुबह की चाय - एक कप चाय सिर्फ | सुबह 6.00 बजे से 8.00 तक | रुपये |
| 2 | सुबह का नाश्ता व चाय - दो पराठा चटनी व अचार के साथ अथवा दो ब्रेड पकोड़ा व चटनी अथवा दो समोसा व चटनी अथवा दो कचौड़ी व चटनी अथवा दो आलूबांडा व चटनी अथवा पोहा 100 ग्राम एवं एक कप गर्म चाय | सुबह 8.00 बजे से 10.00 तक | रुपये |
| 3 | दोपहर का भोजन -(लंच) तुअर दाल, चावल तथा रोटी, एक मौसमी सब्जी, सलाद एवं अचार, पापड़, रायता (भर पेट भोजन) | दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक | रुपये |
| 4 | शाम की चाय एवं बिस्कुट | शाम 5.30 बजे से 6.30 बजे तक | रुपये |
| 5 | रात्रि भोजन - तवा रोटी, तुअर दाल, चावल, एक मौसमी सब्जी एवं अचार, पापड़, सलाद व एक मिठाई (भर पेट भोजन) | रात्रि 8.30 बजे से 10.30 बजे तक | रुपये |
| | कुल | | रुपये |

उपरोक्त दर में सभी टैक्स शामिल हैं।
मुझे इनकायायरी की समर्त्त शर्तें रखीकार हैं।

हस्ताक्षर